समक्ष भारत का उच्चतम न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5011/2019

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 33602 वर्ष 2017 से उत्पन्न)

सेंचुरी मेटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं एक अन्य.....अपीलकर्ता

बनाम

भारत का संघ और अन्य ..... प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना

अनुमति प्रदान की गई

2. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 12 सितम्बर 2017 को कर याचिका संख्या 307/2017 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका सेंचुरी मेटल रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड और गौरीशंकर अग्रवाल, अन्य बातों के साथ इस आधार पर दायर किए गए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि मामला आयातित एल्युमीनियम स्क्रैप के मूल्यांकन से संबंधित है जिसे एक वैधानिक अपील में रखा जा सकता है और यह तय करने के लिए कि क्या अपीलकर्ता ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के लिए सहमति व्यक्त की थी या नहीं, यह तय करना रिट न्यायालय के लिए उचित नहीं होगा।

3. अपीलकर्ता कंपनी का एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के निर्माण का काम है, जिसके लिए वे नियमित रूप से स्वयं के उपभोग के लिए कच्चे माल के रूप में एल्यूमीनियम कचरे का आयात करते हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि आयातित स्क्रैप ,पुनर्चक्रण उद्योग संस्थान के विनिर्देशेां के अनुसार विभिन्न कोड नामों के अंतर्गत आता है। अपीलकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 यानी सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय और उनके *अ*धिकारी लगभग समान रूप से खेप को स्पष्ट नहीं करते है क्योंकि घोषित लेनदेन मूल्य इंट्री बिल प्रविष्टि के अनुसार है लेकिन यह जोर देते हैं कि जो अपीलकर्ता हैं वे सीमा शुल्क प्राधिकरण के द्वारा आंकिलित मूल्य पर सीमा शुल्क पर एक पत्र देने के लिए सहमत हैं और उनके अधिकारों के अंतिम निर्धारण को धारा 18,1962 कस्टम अधिनियम के तहत त्यागने के लिए मजबूर करते है। अपीलकर्ता के पास देरी करने, निकासी शुल्क, जमीन के किराए और कंटेनर हिरासत शुल्क आदि से बचने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन/मूल्यांकन के लिए सहमति देने और सहमति पत्र देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह भी आरोप लगाया गया हे कि अधिनियम की धारा 14 के शासनादेश का पालन किए बिना और उसके विपरीत उत्तरदाताओं ने घोषित लेन–देन मूल्य को त्याग दिया है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड, संक्षेप में) द्वारा 1 दिसम्बर 2016 को जारी किए गए मूल्यांकन अलर्ट के मद्देनजर खेप के मूल्य को फिर से जोडते हैं।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4. शुरूआत में, हम यह रिकॉर्ड करेगें कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना (ए) और (बी) को छोड. दिया है, जैसा कि आदेश में उल्लिखित है और इसलिए, हम मुख्य रूप से रिट याचिका की प्रार्थना (ग) के हमारे निर्णय को स्वीकार करने के लिए है जो निम्नानुसार पढा जाए:

'' पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता सम्मानपूर्वक प्रार्थना करता है कि इस माननीय न्यायालय की कृपा हो:

(ग) परमादेश की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करने वाले अधिकारी का मूल्यांकन करता है, जो प्रतिवादी नंबर 2 और उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा घोषित लेन–देन मूल्य के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा आयात किए जा रहे एल्यूमीनियम स्क्रैप का आंकलन करने के लिए है सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 और 17 (1) के तहत वैधानिक प्रावधान , और गैर– स्वीकृति के मामले में, परिपत्र संख्या 38 दिनांक 22.08.2016 (संलग्न 5) के अनुसार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के तहत अंतिम मूल्यांकन की अनुमति देने के लिए।

हम बताए गए कारणों के लिए 7 अप्रैल 2017 को दिये स्थगन आदेश की वैधता की भी जांच करेंगे।

5. हम इस अधिनियम की धारा 128 के तहत वैधानिक उपाय के माध्यम से वैकल्पिक उपाय के रूप में अपीलकर्ता को भेजने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि 7 अप्रैल, 2017 के मूल्यांकन क्रमांक 12/एसी/सीयूएस 2017 में लगाए गए आदेश को दृष्टि में नहीं रखा जा सकता है सेंट्ल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, नोएडा बनाम संजीवनी नॉन–फेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में इस कोर्ट के निर्णय में इस अदालत के फैसले के बाद,इस मामले में पहले अपीलकर्ता की सहयोगी संस्था चिंता का विषय है। इसके अलावा, पक्षकारों के लिए परामर्श प्राप्त करने के बाद, इम कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे और इसलिए इस मामले के तथ्यों में वैकल्पिक उपाय के बावजूद इस अपील पर विचार करने के लिए हमारे विवेक का उपयोग करेंगे।

6.. हम अधिनियम की धारा 14 और नियम 3 और 12 सीमा शुल्क मान (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण), नियम, 2007 (2007 के नियम, संक्षेप में) से शुरू करेंगे, जो निम्नानुसार हैः

''धारा 14 : माल की वैल्यूएशन''

1.. सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (51/1975) या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय के लिए आयातित सामानों के मूल्य के लिए आयातित माल का निर्यात ऐसे सामानों के लेन–देन का मूल्य तय करेगा, जैसे कि आयात के समय और स्थान पर वितरण के लिए भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर या वास्तव में भुगतान किए गए सामानों के लिए मूल्य या देय, या जैसा कि मामला हो सकता है, भारत से निर्यात हेतु, डिलिवरी के लिए निर्यात हेतु समय और स्थान पर, जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं और इस तरह की अन्य शर्तों के अनुसार बिक्री के लिए एकमात्र विचार है जो इस संबंध के लिए किए गए उपचारों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

बशर्ते की आयातित माल के मामले में इस तरह के लेद–देन का मूल्य शामिल होगा, जैसा कि पूर्वोक्त मूल्य के अनुसार, किसी भी राशि का भुगतान या लागत और सेवाओं के लिए देय है, जिसमें कमीशन और ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग,डिजाइन कार्य, रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क, परिवहन लागत शामिल हैं आयात, इंश्योरेंस,लोडिंग,अनलोडिंग और हैंडलिग चार्ज के स्थान पर इस ओर बनाए गए नियमें में निर्दिष्ट और गहन तरीके से।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आगे कहा है कि इस संबंध में बनाए गए नियम निम्नलिखित के लिए प्रदान कर सकते हैं–

1.) वह परिस्थितियां जिनमें क्रेता और विक्रेता का भरोसा किया जाएगा,

2.) बिक्री न होने पर वस्तुओं के संबंध में मूल्य के निर्धारण का तरीका ,या खरीदार और विक्रेता से संबंधित है, या कीमत बिक्री या अन्य मामले के लिए एकमात्र विचार नहीं हैं

3.) आयातक या निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य की स्वीकृति या अस्वीकृति का तरीका, जैसा कि मामला हो सकता है,जहां उचित अधिकारी के पास सत्य या सटीकता के महत्व पर संदेह करने का कारण है, और इस खंड के उद्देश्यों के लिए मूल्य का निर्धारण, बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना विनिमय की दर के संदर्भ में की जाती है, जिस तिथि पर प्रविष्टि का बिल धारा 46 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, या निर्यात का शिपिंग बिल, जैसा भी मामला हो, धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया जाता है ।

(2) उप–धारा 1. में निहित किसी भी चीज के बावजूद, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि यह आवश्यक है या ऐसा करने के लिए समीचीन है

, तो यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात के किसी भी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्यों को ठीक कर सकता है। ऐसे या ऐसे सामानों का मूल्य और जहां इस तरह के किसी भी टेरिफ मूल्यों को निर्धारित किया जाता है, शुल्क ऐसे टेरिफ मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य होगा।

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिएः–

(ए).'' विनिमय की दर' का अर्थ है विनिमय की दर–

i).बोर्ड द्वारा निर्धारित,या

i).भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा या विदेशी को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जा सकता है,

बी.) ' विदेशी मुद्रा'' और '' भारतीय मुद्रा'' का अर्थ क्रमशः विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 (42 का 1999) की धारा 2 के खंड एम और खंड (क्यू)सौंपा गया है

नियमः–

नियम3: विधि मूल्यांकन का निर्धारणः

1. नियम 12 के अधीन, आयातित वस्तुओं का मूल्य नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार लेन–देन मूल्य को समयोजित करेगा,

2.उप–नियम 1. के तहत आयातित माल का मूल्य स्वीकार किया जाएगा.

उसे उपलब्ध कराया–

ए. प्रतिबंधों के अलावा खरीदार द्वारा माल के निपटान या उपयोग के रूप में कोई प्रतिबंध नहीं हैः–

1. भारत में कानून या सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा लगाया या अपेक्षित हैं,या

2. उस भौगालिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें माल को फिर से बेचा जा सकता है, या

3. माल के मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं करता है।

बी.) बिक्री या मूल्य कुछ शर्त या विचार के अधीन नहीं है, जिसके लिए मूल्य मूल्यावान माल के संबंध में निर्धारित नहीं किया जा सकता है.,

सी.) खरीदार द्वारा माल के किसी भी बाद के पुनर्विक्रय, निपटान या उपयोग का कोई हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रता को तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि इन नियमों के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार उचित समायोजन नहीं किया जा सकता है, तथा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

डी.)खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं, या जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं वह लेन–देन मूल्य नीचे उप–नियम 3 के प्रावधानों के तहत सीमा शुल्क प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य है।

3–ए.. जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं, लेन–देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि आयातित माल को बिक्री की परिस्थितियों की जांच से संकेत मिलता है कि रिश्ते ने कीमत को प्रभावित नहीं किया था।

बी.). सबंधित व्यक्तियों के बीच एक बिक्री में, लेन–देन मूल्य को स्वीकार किया जाएगा, जब भी आयातक यह प्रदर्शित करता है कि माल के घोषित मूल्य को मूल्यवान माना जा रहा है, एक ही समय में या इसके बारे में पता लगाए गए निम्न मूल्यों में से एक को बारीकी से अनुमानित करता है।

1.. भारत में असंबद्ध खरीदारों की बिक्री में समान वस्तुओं या समान सामानों का देन–देन मूल्य,

2.. समान वस्तुओं या समान सामानों के लिए कटौतीत्मक मूल्य,

3.. समान वस्तुओं या समान वस्तुओं के लिए गणना किए गए मूल्य,

बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यों को लागू करने में, खाते में अंतर–भिन्न स्तर के स्तर, मात्रा के स्तर,नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन और बिक्री में विक्रेता द्वारा किए गए लागत के अनुसार समायोजन लिया जाएगा, जिसमें वह और खरीदार संबंधित नहीं है,

ग.) इस उप–नियम के खंड बी के प्रावधानों के तहत स्थानापन्न मूल्यों की स्थापना नहीं की जाएगी।

4..यदि मूल्य उप–नियम 1. के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य नियम 4 से 9 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढते हुए निर्धारित किया जाएगा।

नियम 12. घोषित मूल्य की अस्वीकृतिः

1.) जब उचित अधिकारी के पास किसी आयातित सामान के संबंध में घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर संदेह करने का कारण हो, तो वह ऐसे सामान के आयातक को दस्तावेजों या अन्य साक्ष्यों सहित आगे की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है और यदि,ऐसा आगे प्राप्त होने पर जानकारी ,या ऐसे आयातक की प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में ,उचित अधिकारी को अभी भी घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में उचित संदेह है, यह माना जाएगा कि ऐसे आयातित सामानों का लेन–देन मूल्य प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता हे नियम 3 का उप– नियम (1) ।.

11.) एक आयातक के अनुरोध पर, उचित अधिकारी, आयातक द्वारा आयात किए गए माल के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के लिए आयातक को असरंग करेगा, और सुनाई देने का एक उचित अवसर प्रदान करेगा, पहले अंतिम निर्णय लेने वाला उप–नियम1. ।

स्पष्टीकरण– 1. शंकाओं को दूर करने के लिए,यह घोषित किया गया है कि–

(1) यह नियम अपने आप में मूल्य निर्धारण के लिए एक विधि प्रदान नहीं करता है,यह उन मामलों में घोषित मूल्य की अस्वीकृति के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करता है जहां उचित संदेह है कि घोषित मूल्य लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जहां घोषित मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, वह मान 4 से 9 के नियमों के अनुसार क्रामिक रूप से आगे बढते हुए निर्धारित किया जाएगा।

(2) घोषित मूल्य के स्वीकार किया जाएगा जहां उचित अधिकारी आयातकों के परामर्श से उक्त पूछताछ के बाद घोषित मूल्य की सच्चाई और सटीकता के बारे में संतुष्ट है।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(3) उचित अधिकारी के पास कुछ विशेष कारणों के आधार पर घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह उठाने की शक्तियां होंगी–

(ए) काफी अधिक मूल्य जिस पर समान या समान माल आयात किया गया हो या एक समान वाणिज्यिक लेनदेन में एक ही समय में तुलनीय मात्रा में मूल्यांकन किया गया है,

(बी) बिक्री में सामान्य प्रतिस्पर्धी मल्य से असामान्य छूट या असामान्य कमी शामिल है,

(सी) बिक्री में विशेष एजेंटों तक सीमित विशेष छूट शामिल है,

(डी) विवरण, गुणवत्ता,मात्रा,मूल के देश,निर्माण या उत्पादन के वर्ष जैसे मापदंडों में माल की गलत व्याख्या,

(ई) ब्रांड ग्रेड,विनिर्देशों जैसे मानों की प्रासंगिकता न होने की गैर–घोषणा,

(एफ) धोखाधडी या हेरफर किए गए दस्तावेज।

7. धारा 14 को 2007 के नियमेां के नियम 12 के साथ पढा जाना है। नियम 12 अभिव्यक्ति का उपयोग करता है 'उचित अधिकारी के पास महत्व के सामान के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता का कारण है।' यह अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से अलग–अलग शब्दों और पूर्वधारणा के साथ निरस्त सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का निर्धारण मूल्य) नियमावली,1988 (1988 के नियम संक्षेप में) और पूर्व संशोधित धारा 14 (1) के तहत घोषित लेन–देन मूल्य को खारिज करने के लिए लगाई गई है। इस अधिनियम द्वारा आयशर ट्रैक्टरस लिमिटेड,हरियाणा बनाम सीमा शुल्क ,आयुक्त मुंबई 2001 में इस न्यायालय द्वारा विचार और व्याख्या की गई थी। वास्तव में आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड (सुप्रा) में फेसले को 19 फरवरी,1988 से लागू नियम 1988 के नियम 10–ए के रूप में नहीं माना गया था, क्योंकि वर्ष 1993 से संबंधित आयात नियम 10–ए की अवधारणा लाया 1988 के नियमों के नियम 4 (2) में विशेष या विपरीत परिस्थितियोां के स्थान पर घोषित मूल्य पर संदेह करना।हालांकि आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड (सुप्रा) में धारा 14 (1) के लिए दी गई व्याख्या देय शब्द के अर्थ के रूप में उपयोग की जाएगी जो लागू होगी। धारा 14 (1) में प्रयुक्त देय शब्द से तात्पर्य हे कि वह लेनदेन के संबंध में विशेष लेनदेन और देयता हे। यह संवैधानिक मूल्य को संदर्भित करता है, हालांकि प्रवेश के बिल में घोषित किए गए लेनदेन मूल्य के साथ–साथ राशि जो 2007 के नियमों के नियम 10 के संदर्भ में जोडी जानी है।

1. संजीवनी नॉन–फेरस ट्रेडिग प्राइवेट लिमिटेड सुप्रा के मामले में इस अदालत ने 2007 के नियमों की धारा 14 और नियम 3, 4, और 12 के प्रावाधानों की व्याख्या करते हुए, निम्नानुसार आयोजित की गई थीः

'' 10. कानून, इस प्रकार स्पष्ट है। धारा 14 (1) और 14 (1–ए) के अनुसार, ऐड–वालोरम(वैल्यू के अनुसार) शुल्क के लिए प्रभावित किसी भी सामान का मूल्य उस प्रावाधान में संदर्भित मूल्य के रूप में माना जाता है। धारा 14 (1)एक निस्तारण प्रावधान हैं क्योंकि यह इस तरह के सामानों के डीम्ड वैल्यू की बात करता है। इसलिए आम तौर पर निर्धारण अधिकारी को उस मूल्य के आधार पर कार्य करना चाहिए जो वास्तव में भुगतान किया गया है और माल के मूल्यांकन योग्य मूल्य/लेनदेन मूल्य के समान है। यह, आमतौर पर, कार्यवाई का एक तरीका है जिसका मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। आकलन मूल्य होने के लिए लेनदेन मूल्य पर पहुंचने का यह सिद्धांत लागू होता है। यह भी सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के नियम 3 (1) और नियम 4 (1) का प्रभाव है, अर्थात निकटवर्ती प्राधिकारी लेनदेन मूल्य के रूप में माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। हालांकि, नियम 4 (2) में बताया गया है कि उस प्रावधान के

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अनुसार, बिल ऑफ एंट्री के मामले में उल्लिखित लेनदेन के मामले में यह पाया गया है कि समान वस्तुओं या समान सामानों का कोई भी आयात एक ही समय में उच्च मूल्य पर या यदि खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से संबंधित हैं। इस तरह के प्रावधान को लागू करने के लिए यह अवलंबी आकलन अधिकारी का कारण हे कि प्रवेश के बिलों में घोषित लेनदेन मूल्य को अस्वीकार क्यों किया जा रहा है, यह स्थापित करना कि कीमत एकमात्र विचार नहीं है, और सामग्री के आधार पर समर्थित कारणों को देने के लिए जिसके आधार पर मूल्यांकन अधिकारी अपने स्वयं के स्वीकार्य मूल्य पर आता है।''

खण्डपीठ ने निम्नलिखित उप पैरा को सीमा शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम् दक्षिण भारत टेलीविजन से उद्धत किया है।

13.. धारा 14 (1) डीम्ड वैल्यू की बात करती है, इसलिए इनवॉइस कीमत विवादित हो सकती हैै। हालांकि,यह साबित करने के लिए विभाग है कि चालान की कीमत गलत है जब उच्च मूल्य पर समकालीन आयात कोई सबूत नहीं है तो चालान की कीमत स्वीकार किये जाने योग्य है। निर्यात घोषणा में मूल्य को कस्टम *है* जब उच्च मूल्य पर समकालीन आयात का कोई सबूत नहीं , तो चालान की कीमत वैल्यूएशन नियमें तहत सुलभ मूलय की पहचान के लिए निर्भर किया जा सकता है न कि उस मूल्य को निर्धारित करने के लिए जिस पर माल को आयात के समय और स्थान पर बेचा जाता है। यह वह जगह है जहां मूल्य और मूल्य के बीच वैचारिक अंतर चर्चा में आता है।

9.. अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार आयातित वस्तुओं का मूल्य ऐसे सामानों का लेनदेन मूल्य होगा, जिसका अर्थ है कि भारत को निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य जहां खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं है और निर्धारित मूल्य बिक्री के लिए एकमात्र विचार है।

अधिनियम की धारा 14 (1) के पहले प्रावधान के अनुसार, सीमा शुल्क के प्रयोजन के लिए लेनदेन मूल्य में भुगतान या देय राशि शामिल होगी, जैसे कि कमीशन, ब्रोकरेज, इंजीनियरिंग डिजाइन कार्य, परिवहन की लागत आदि जैसी लागत और सेवाएं। इस संबंध में बनाये गये नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। इन राशियों को घोषित लेनदेन मूल्य में जोड.ा जाना है। तदनुसार, 2007 के नियम 10 के नियमों के अनुसार लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य के लिए लागत और सेवाओं का मूल्य जोड.ा जाता है।

10. धारा 14 की उपधारा (2) एक गैर–बाधा प्रावधान है जो लागू होने के बावजूद उपधारा (1) अर्थात जब बोर्ड ने आधिकारिक गजट में एक अधिसूचना जारी की है जो आयातित या निर्यात किये गए सामानों के किसी भी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्यों को तय करता है। बोर्ड 14 (2) के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है जब यह संतुष्ट हो जाता है कि यह आवश्यक और समीचीन नहीं माना है।

11. धारा 14 (1) के लिए दूसरा प्रावधान अलग–अलग स्थितियों से संबंधित है इसकी गणना तीन खण्डों में की गई है 1. जब खरीदारों और विक्रेताओं को संबंधित माना जाता है, 2. जब कोई बिक्री नहीं होती है, या खरीदार और विक्रेता संबंधित होते है कीमत बिक्री के लिए एकमात्र विचार नहीं है इत्यादि और 3. जहां उचित अधिकारी के पास ऐसे मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण है। जब दूसरी अंतिम स्थिति में निर्दिष्ट शर्त संतुष्ट जो जाती है, तो सीमा शुल्क के चार्ज के उद्देश्य के लिए लेन–देन मूल्य इस संबंध में बनाये गए नियमों के अनुसार बनाया जाना है।

नियम 2007 के नियम 3 और 12 अर्थात सीमा शुल्क मान (आयातित सामानों के मूल्य का निर्धारण) नियम 2007 को 10 अक्टूबर 2007 से अधिनियमित और लागू किया गया, नियम 1988 को बदलते हुए और हटाकर 2007 के नियमेां के नियम 3 (1) में कहा

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया है कि आयातित सामानों का मूल्य 2007 के नियमें के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा, जो नियम, जैसा कि उपर देखा गया है, लगात और सेवाओं से संबंधित है जो कि लेनदेन मूल्य निर्धारित करने के लिए आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्यों में जोडा जाना चाहिए

नियम 3 के लिए उप–नियम 1. हालांकि नियम 12 के अधीन हे और इसलिए नियम 12 को प्रधानता देते हैं जिसे हम बाद में विस्तृत करेंगे और समझाएंगे। नियम 3 के लिए उप–नियम 2.. में कहा गया है कि उप–नियम 1. के तहत आयातित माल का मूल्य स्वीकार किया जाएगा। यानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद अस्थायी रूप से अलग–अलग खण्ड के जारिये आयातित सामानों के मूल्य को स्वीकार करने के लिए पूर्व शर्तें तय करता है। नियम 2. आयातक या उसके एजेंट द्वारा दिए गए घोषणा की पुष्टि करता है कि उन्होंने आयातित वस्तुओं के मूल्य और पूर्ण या सटीक विवरणों का खुलासा किया था और किसी भी बयान, सूचना दस्तावेजों के उत्पादक या सामान के चालक सहित दस्तावेज जहां सामान आयात किए गए हैं सामान के उत्पादकता के अलावा या किसी व्यक्ति के माध्यम से आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए उचित अधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाता है उप–नियम 2. बताते हैं कि घोषित मूल्य स्वीकार किये जाएंगे जहां आयातक के साथ परामर्श की जांच के बाद उचित अधिकारी घोषित मूल्य की सच्चाई और सटीकता के बारे में संतुष्ट है।

13. उप–नियम 3. नियम 3 उन मामलों से संबंधित है जब खरीदार और विक्रेता संबंधित होते हैं। वर्तमान निर्णय के प्रयोजन के लिए आवश्यक नहीं है, इसके लिए हम उक्त उप–नियम पर विचार नहीं करेंगे। उप–नियम 4. के अनुसार,जहां नियम 3 के लिए उप–नियम 1. के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेन–देन को चरणबद्ध तरीके से नियम 4 से 9 के अन्तर्गत लागू किया जाना चाहिए।नियम 4 एक समान वस्तुओं के आधार पर लेनदेन मूल्य के साथ संबंधित है। नियम 5 एक जैसे मिलते–जुलते सामानों के आधार पर लेनदेन मूल्य के साथ संबंधित है, नियम 6. मूल्य के निर्धारण के निर्धारण से संबंधित है जहां नियम 3,4और 5 के तहत लेन–देन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, नियम 7 और 8 क्रमशः घटाए मूल्य और गणना मूल्य के साथ सौदा करते हैं। नियम 9 लेनदेन मूल्य की गणना करने के लिए अवशिष्ट पद्धति निर्धारित करता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नियम 4 से 9 नियम 3 के प्रावाधानों के आधीन है, जिससे नियम 3 को प्रधानता मिलती है, जो 2007 के नियमों के नियम 12 को प्रधानता देता है।

14. नियम 12, जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रधानता ओर महत्वपूर्ण स्थिति का लाभ लेता है, जहां उचित अधिकारी के पास आयातित माल के लिए घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण होता है। यह दो चरणीय सत्यापन और परीक्षा की परिकल्पना करता है। पहली बार में, उचित अधिकारी को घोषित लेन–देन के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजों सहित आगे की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आयातक से पूछना चाहिए, उचित अधिकारी उसके बाद घोषित किए गए लेन–देन के मूल्य को स्वीकार कर सकता है। हालांकि, जहां उचित अधिकारी संतुष्ट नहीं है और उसे घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में उचित संदेह है, यह माना जाता है कि ऐसे आयातित सामानों का लेन–देन मूल्य नियम 2007 के उप–नियम 3 के नियम (1) के प्रावधान के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता। नियम 12 के स्पष्टीकरण के खंड (2) में कहा गया है कि उचित अधिकारी निश्चित कारणों पर सत्य या घोषित मूल्य की सटीकता के बारे में संदेह उठा सकते हैं। 'कुछ कारणों' में खण्ड ए से एफ में निर्दिष्ट शर्ते शामिल होंगी यानी एक तुलनीय

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा

निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लेन–देन में तुलनीय मात्रा उत्पत्ति के समान सामानों का उच्च मूल्य विशेष प्रतिस्पर्धी कीमतों की बिक्री से असामान्य छूट या असामान्य कटौती, मापदंडों पर गलत व्यवहार जैसे विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, उत्पत्ति स्थल (देश) निर्माण या उत्पादन का वर्ष, ब्रांड और ग्रेड आदि जैसे मापदंडों की गैर–घोषणा और धोखाधडी या हेर–फेर किए गए दस्तावेज ए से एफ में उल्लेखित आधार हालांकि घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता के बारे में संदेह बढाने के लिए कुछ कारणों से संपूर्ण नहीं है।

स्पष्टीकरण के लिए खंड 2. में कहा गया है कि घोषित मूल्य को स्वीकार किया जाएगा जहां उचित अधिकारी आयातकों से परामर्श के बाद घोषित मूल्य की सच्चाई और सटीकता के बारे में संतुष्ट है। खंड 1 स्पष्टीकरण में कहा गया है कि नियम 12 मूल्य निर्धारण का एक तरीका प्रदान नहीं करता है ,लेकिन उन मामलों में प्रक्रिया या तंत्र प्रदान करता है जहां घोषित मूल्य को अस्वीकार किया जा सकता है, जब एक उचित संदेह है कि घोषित लेनदेन मूल्य वास्तविक लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व, नहीं करता है, ऐसे मामलों में लेनदेन का मूल्य क्रमिक रूप से 2007 के नियमों के नियम 4 से 9 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

नियम 12 के उप–नियम 2. में कहा गया है कि आयातक के अनुरोध पर , उचित अधिकारी आयातक को आधार लिखने के लिए सूचित करेगा अर्थात आयातित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण, आगे, उचित अधिकारी उप–नियम 1. के तहत अंतिम निर्णय के रूप में मूल्यांकन करने से पहले आयातक को सुनने का एक उचित अवसर प्रदान करेगा।

15. इसलिए ,नियम 12 की आवश्यकताओं को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

ए. सक्षम अधिकारी को उचित संदेह होना चाहिए क्योंकि आयातित माल के संबंध में घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर लेन–देन का मूल्य है।

बी. सक्षम/योग्य अधिकारी को ऐसे सामान के आयातक से आगे की जानकारी मांगनी चाहिए जिसमें दस्तावेज या साक्ष्य शामिल हो सकते हैं।

सी. ऐसी सूचना प्राप्त करने पर या आयातक से प्रतिक्रिया के अभाव में, सक्षम अधिकारी को अपना दिमाग लगाना होगा और यह तय करना होगा कि मूल्य के सत्य या सटीकता पर उचित संदेह है या नहीं,

डी. जब सक्षम अधिकारी को उचित संदेह नहीं होता है, तो माल घोषित मूल्य पर भुगतान हो जाता है।

ई.. जब संदेह बना रहता है, तो नियम 3 के लिए उप–नियम 1. लागू नहीं होता है और लेनदेन मूल्य 2007 के नियमों के नियम 4 से 9 के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है ।

एफ. योग्य अधिकारी कुछ कारणों पर घोषित मूल्य की सत्यता या सटीकता पर संदेह कर सकता है, जिसमें स्पष्टीकरण के खंड (iii) में खंड ए से एफ में निर्दिष्ट आधार शामिल हो सकते हैं।

जी.. सक्षम अधिकारी, आयातक द्वारा किए गए अनुरोध पर, आयात किए गए सामानों के संबंध में घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के लिए आयातक को प्रस्तुत करने और सुचित करने के लिए है। इस प्रकार, सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में कारण दर्ज करने होते हैं। जिन्हें अनुरोध करने पर सूचित करना होता है।

एच. आयातक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, इससे पहले कि उचित अधिकारी अंततः 2007 के नियमों को नियम 4 से 9 के संदर्भ में लेन–देन का मूल्य तय करे।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16. सक्षम अधिकारी मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के लिए कुछ कारणों के आधार पर घोषित किए गए लेन–देन के मूल्य को अस्वीकार कर सकता है, जिसमें उचित अधिकारी 2007 के नियमों के नियम 4 से 9 के अनुसार मूल्यांकन करने का हकदार है। ''घोषित मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने के लिए अभिव्यक्ति'' के आधार का मतलब क्या है, नियम 12 में संलग्न खंड (iii) के व्याख्यान में विस्तृत रूप से समझाया गया है। खंड ए से एफ में उल्लिखित उदाहरण संपूर्ण नहीं है, लेकिन लेकिन इसके लिए समावेशी हैं जब अन्य अधिकारी उचित मूल्य की सटीकता या सच्चाई पर यथोचित संदेह कर सकते हैं।

17. 2007 के नियमों के नियम 12 में निहित शब्दों का चुनाव महत्वपूर्ण है और उनके बहुत अधिक परिणाम भी है। विधानमण्डल, हमें सहमत होना चाहिए, उचित अधिकारी की ओर से पूर्वशर्त के रूप में ''विश्वास करने का कारण'' या संतुष्टि या इस तरह के अन्य सकारात्मक शब्दों का उपयोग नहीं किया है। अभिव्यक्ति ''विश्वास करने का कारण'' जिसके कारण लेन–देन मूल्य के अवमूल्यन या कम घोषणा पर सकारात्मक विश्वास के अस्तित्व को दिखाने के लिए उचित अधिकारी को तथ्यों और आंकडों का उल्लेख करना होगा।

अनुक्रम के लिए ''संदेह का कारण'' अभिव्यक्ति को एक अलग सीमा और परीक्षा के तौर पर आवश्यक होगी।

सकारात्मक कारणों को विश्वास करने की जरूरत के लिए यह सामान रूप से नहीं माना जा सकता है कि संदेह शब्द के लिए जो कि अनिश्चिता ,अदृढता, भय, संदेह को प्रदर्शित करता है। हालांकि इस संदेह को तार्किक होना चाहिए अर्थात इसमें एक उद्देश्य की डिग्री और संदेह के लिए आधार ''निश्चित कारणों'' पर आधारित होना चाहिए।

18. आपराधिक कानून में उचित संदेह से परे अभिव्यक्ति का प्रमाण अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोप साबित करके दोष और अपराध की सुरक्षित सजा स्थापित करने की आवश्यकता होती है। रमाकांत राय बनाम मदन राय और ओर आर एस। (2003) 12 एस सी सी 395 का उल्लेख आपराधिक कानून में उचित संदेह के रूप में किया गया थाः

''24. संदेह को उचित कहा जायेगा यदि वे अमूर्त अटकलों के लिए एक अभिरूचि से मुक्त है। कानून सच्चाई के अलावा किसी भी पसंदीदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उचित रूप से संदेह का गठन करने के लिए यह अतिरेक की प्रक्रिया से मुक्त होना चाहिए। संदेह वास्तविक होना चाहिए और यह संदेह पर्याप्त मात्रा में सबूतों से उत्पन्न होने चाहिए अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने लिए। और इसकी कमी के कारण जो कि अस्पष्ट भय के विरोध में है। एक तार्किक संदेह काल्पनिक नहीं होता हे तुच्छ नहीं होता है बल्कि एक स्पष्ट संदेह होता है जो कि तर्कों और सामान्य ज्ञान के आधार पर निर्भर करता है और इसे वाद के साक्ष्यों से ही उत्पन्न होना चाहिए।

तार्किक संदेह से परे का सबूत निश्चित नहीं है कि इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के जरूरत के अनुसार और 2007 के अधिनियम के नियम 12 के तहत हो यद्धपि ऊर्पवर्णीत उद्धरण एक साधारण संदेह और तार्किक संदेह के बीच विभेद प्रकट करता है। 2007 के अधिनियम के उप–धारा 3 व्याख्या और अधिनियम की धारा 14 लगायत नियम 12 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य संदेह को तार्किक और निश्चित कारणों से सम्पोषित होना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी को निश्चित कारणों को जो कि पैरा क से च तक वर्णित है को दर्ज करना ही चाहिए या सामान्य अधिकारों को द्वितीय स्तर पर घोषित मूल्य की न करने की प्रक्रिया के पहले लिखित में दर्ज करना चाहिए। और इन सभी को क्रमवार प्रक्रिया के माध्यम से 2007 के नियम के अनुसार निश्चित करने

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

का निर्णय लेना चाहिए। यह एक संदेह को प्रदर्शित करता है जो एक सक्षम अधिकारी अभिधारित करता है इसके बाद भी जहां आयातक से आगे की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जो कि प्रपत्रों और साक्ष्यों सहित प्राथमिक जांच के दौरान हो जिससे घोषित मूल्य की सत्यता और स्पष्टयता से संबंधित उसके (सक्षम अधिकारी) को स्पष्ट करें या कर दें। इसलिए उचित अधिकारी द्वारा एक प्रारम्भिक जांच की जानी चाहिए जिसमें आयातक को एक अवसर आवश्यक रूप से दिया ही जाना चाहिए जिसमें वह अधिकारी के संदेहों को घोषित मूल्य के सत्यता और शुद्धता के संबंध में प्रपत्रों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करके स्पष्ट कर सकें। केवल इसी मामले में जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना से संबंधित परिक्षण निहित होता है जो कि प्रपत्रों और सूचना के न प्रदान करने के कारण आगे कि जांच को और मूल्यों के अभिनिर्धारण की प्रक्रिया नियम 4 से 9 के तहत प्रभाव में आयेगीं और लागू होगीं। तार्किक संदेह तभी उत्पन्न होगा जब संदेह तार्किक हो और वह निश्चित कारणेां के लिए और काल्पनिक तथा अस्पष्ट न हो। एक ऐसा संदेह जो कि धारा 14 लगायत 12 के प्रावधानों के अर्न्तगत हो और वह विस्तृत जांच को प्रमाणित करता हो और प्रारम्भिक समझ पर आधरित नहीं होना चाहिए तथा काल्पनिक या केवल ऐसा दृष्टिकोण हो जो कि तार्किकता और निश्चित तथ्यों पर आधारित न हो। कुछ कारणों के तरीके से और केवल मनमाने तरीके से नहीं। केवल संदेह पर यह विषय विस्तृत जांच का है कि कोई व्यक्ति बिना किसी तार्किक और निश्चित कारणों से प्रावधानों पर अविश्वासी और अनिश्चित है यह योजना के विपरीत है, जो कि आयातित वस्तुओं का त्वरित सामाशोधन या निपटान सुनिश्चित करती है ।

19. अधिनियम की धारा 18, यह बताती है कि ''धारा कर का अन्तिम निर्धारण –
(1) धारा 46 और 50 के प्रावधानों के पूर्वाग्रहों और इस अधिनियम में सन्निहित कुछ बातों के अलावा।
(क) जहां आयातक और निर्यातक स्व–निर्धारण अन्तर्गत उप–धारा 1. धारा 17 करने में असमर्थ हों और लिखित में यह प्रार्थना उचित अधिकारी से निर्धारण के लिए करें, या
(ख) जहां उचित अधिकारी यह आवश्यक समझता हो कि किसी आयातित वस्तु या निर्यातित वस्तु को किसी रासायनिक या अन्य परीक्षण की आवश्यकता है, या
(ग) जहां आयातक और निर्यातक ने सभी आवश्यक (प्रपत्रों) कागजात को प्रस्तुत किया हो और पूर्ण जानकारी प्रदान की हो परन्तु सक्षम अधिकारी आगे की पूंछताछ आवश्यक समझता हो, या
(घ) जहां आवश्यक प्रपत्रों को प्रस्तुत न किया गया हो और जानकारी प्रस्तुत न की गयी हो और सक्षम अधिकारी आगे की कार्यवाही को आवश्यक समझता हो।
सक्षम अधिकारी यह निर्देशित करेगा कि शुल्क जो कि इस माल पर लगेगा वह अनन्तिम रूप से निर्धारित होगा यदि आयातक और निर्यातक जैसा मामला हो सुरक्षा की धनराशि प्रस्तुत कर देते है जो कि सक्षम अधिकारी उचित समझे कमी की मूल्य की पूर्ति के लिए,यदि कोई हो, शुल्क के बीच में जो कि अनन्तिम या पुनः निर्धारित होगी और शुल्क अनन्तिम निर्धारित होगी जैसा मामला हो उस प्रकार से।
1.(क) जहां अनन्तिम निर्धारण के अनुपालन में उप–धारा 1 के अन्तर्गत, यदि सक्षम अधिकारी द्वारा कोई प्रपत्र या जानकारी आवश्यक हो अनन्तिम निर्धारण के लिए,आयातक और निर्यातक जैसा मामला हों ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करेगा या जानकारी देगा दिए गए समय के दौरान, ओर सक्षम अधिकारी अन्तिम निर्धारण को पूर्ण करेगा दिए गए समय के दौरान और उस तरीके से जो प्रदान किया गया है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) जब शुल्क जो कि इन वस्तुओं पर लागू हे पूर्णतयः निर्धारित कर ली जाए या पुनः निर्धारित कर ली जाए किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, तब–

(क) घरेलू, उपयोग के लिए सुरक्षित वस्तुओं के संबंध में या निर्यातन के लिए मूल्य जो कि प्रदान किया या निर्धारित या पुनर्निर्धारित किया जाएगा वह शुल्क के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा, जैसा कि मामला हो और यदि धनराशि जो इस प्रकार से प्रदान की गयी हे कम हो या ज्यादा हो जैसा कि मामला हो माल का आयातक या निर्यातक कमी का भुगतान करेगा या फिर प्रतिदाय के लिए हकदार होगा जैसा कि मामला हो।

(ख) गोदाम में रखे वस्तुओं के मामले में, सक्षम अधिकारी जहां शुल्क पूर्णतयः निर्धारित हो या पुनर्निर्धारित हो, जैसा मामला हो, जो शुल्क से ज्यादा हो अनन्तिम रूप से निर्धारित थी, वहां आयातक से एक बांड की आवश्यकता पडती है जो कि वह अधिक शुल्क से दोगुने के बराबर की रकम की हो।

(ग) आयातक और निर्यातक ब्याज को भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे किसी धनराशि पर जो कि केंद्रीय सरकार को देय होगी, अनन्तिम निार्धारण आदेश परिणाम स्वरूप या पुनर्निर्धारण आदेश जो कि उप–धारा 2. के अंतर्गत होगी और जिसकी दर केंद्रीय सरकार धारा 28 ए ए में तहत महीने के पहले दिन से निार्धारित होगी। जिसमें शुल्क अनन्तिम रूप से निर्धारित किया गया भुगतान के दिन तक का होगा।

(घ) उप–धारा 5. अंतर्गत यदि कोई वापसी की रकम जो उपधारा 2. के भाग (क.) में उद्धृत है नहीं वापसी की गइै उस उपधारा के अधीन अन्तर्गत शुल्क के पूर्ण निर्धारण या पुनर्निर्धारण के तीन महीने के अंदर उस दिनांक से जैसा कि मामला हो वहां उस वापस न की गई रकम पर एक ब्याज होगा उस दर पर कि केन्द्र सरकार धारा 27 ए. के अन्तर्गत उस रकम के वापसी के दिनांक तक लगायेगी।

(ड.) शुल्क की रकम जो कि वापसी योग्य हे अन्तर्गत धारा 2. के और ब्याज अन्तर्गत उपधारा (4) के यदि कोई हो तो, कोष में जमा होने के बजाए आयातक को या निर्यातक को प्रदान की जाएगी, जैसा मामला हो, यदि यह रकम संबंधित हो–

(क) शुल्क और ब्याज यदि कोई हो, उस शुल्क पर संदाय हो आयातक द्वारा, या निर्यातक द्वारा , जैसा कि मामला हो यदि उसने पारित न किया हो उस शुल्क के और ब्याज के धारित होने पर, यदि कोई हो, जो कि संदाय(भुगतान) हो ऐसे शुल्क पर किसी अन्य व्यक्ति को,

(ख) शुल्क और ब्याज यदि कोई , इस शुल्क पर संदाय(भुगतान) हो जो कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग में आयात के लिए किया गया हो।

(ग) शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो इस शुल्क पर संदाय हो खरीदार द्वारा उत्पन्न हो, यदि उसने इस शुल्क पर घटित कोई ब्याज पास (पारित) न किया हो, यदि कोई हो, इस शुल्क पर भुगतान की गई हो किसी अन्य व्यक्ति को,

(घ) निर्यात शुल्क जो कि धारा 26 में वर्णित है।

(ड.) शुल्क की कमी या दोष धारा 74 और 75 के अन्तर्गत।

धारा 18 का महत्व ऊपर के प्रावाधानों के आलोम के अन्तर्गत समझा जा सकता है। धारा 18 धारा में उपधारा 1. के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क वर्णित अंतिम निर्धारण को प्रदान करती है। उपधारा 1. की परिशिष्ट (ग.) उन मामलों की बात करती हे जहां आयातक और निर्यातक ने आवश्यक प्रपत्रों को प्रदान कर दिया हे और शुल्क के निर्धारण की सभी जानकारी प्रदान की हो लेकिन सक्षम अधिकारी यह आवश्यक समझता है कि शुल्क के निर्धारण के लिए आगे भी जांच की जाए।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कुछ भी हो परिशिष्ट (ग). विस्तृत है और तब लागू होगा जब आयातक और निर्यातक आवश्यक प्रपत्र नहीं प्रस्तुत करते हैं या जानकारी नहीं प्रदान करते हैं। सभी मामलों में जो कि परिशिष्ट क. से घ. तक होती है, सक्षम अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि शुल्क का अनन्तिम निर्धारण आयातित वस्तुओं पर होगा। जहां शुल्क अनन्तिम रूप से निर्धारित होगा आयातक या निर्यातक को सुरक्षा की धनराशि देना होगी जो कि सक्षम आधिकारी कमी की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है, यदि कोई हो तो, जो अनन्तिम रूप से भुगतान की गई रकम और शुल्क जो कि अनन्तिम रूप से निर्धारित है उसके बीच हो।

अधिनियम की धारा 18 को समझने के उपरान्त / यह निर्धारित किया गया कि यदि सीमा शुल्क प्राधिकरण और आयातक के बीच आयातित के मूल्य निर्धारण माल को लेकर कोई विवाद हो तो उन शर्तों की सहमति के आधार पर जो कि उपधारा 1. में वर्णित हैं प्राधिकरण सीमा शुल्क का अनन्तिम निर्धारण करेगा इस अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत। यह भुगतान की स्पष्टता में तीव्रता लायेगा, और अंतिम न्यायाधिकरण को लंबित करेगा जो योग्यता के आधार पर समय लेगा।

यह भी गठन के सर्कुलर नं 38/2016 दिनांक 22.08.2016 का आदेश है कि प्राधिकारण द्वारा किसी प्रकार की दबाव और भारिता कि आयातक अपने विधिक अधिकारों का दावा नहीं करेगा और उसे त्याग देगा जो कि अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हे सही नहीं होगा।

न तो यह उचित होगा कि निर्यातक द्वारा मूल्य निर्धारण को मना कर दिया जाए बिना किसी तार्किक संदेह के या किसी कारणवश।

(20) हम पूर्व दृष्टया इस कारण से जो कि नीचे दर्ज है प्रतिवादी के तर्कों को दरकिनार करते हैं जेा कि अपीलकर्ता के पत्र पर दर्ज हैं दिनांक 06.03.2017 पर, कि अपीलकर्ता दिनांक दर्ज की गई हुंडी का अंतिम निर्धारण नहीं चाहता है। और शुल्क को स्वीकार किया और भुगतान कर दिया है जो कि सीमा शुल्क प्राधिकरण के द्वारा आंकलित की गयी है।

यह पत्र अपीलकर्ता के दुर्दशा या हालत के विवरण या यह दिखाता है कि अपीलकर्ता अति आवश्यक जरूरत में थे और माल का समाशोधन चाहते थे। प्रासांगिक रूप से अपीलकर्ता ने पूर्ववत कई–पत्र संचार के साथ 22.12.16 और 04.03.17 को लिखे यह प्रार्थना करते हुए जिसमें आयातित प्रेषित माल के समाशोधन की प्रार्थना की गई जो कि एल्युमिनियम के रद्दी माल और सौदे के घोषित मूल्य को इंगित करते हैं जो आयातित सौदे की देरी से समाशोधन के लिए है, अपीलकर्ता और उसके संबंधित सहयोगी को 25 करोड. की अत्यधिक शुल्क अगस्त 2013 तक देने को मजबूर होना पड.I यह दुर्भाग्यपूर्ण हे और स्वीकार किए जाने योग्य है कि प्रतिवादी प्राधिकरण ने 06. 03.2017 के पत्र के तहत अपीलकर्ता को जबरदस्ती मजबूर किया जिससे कि वे (प्रतिवादी) अपने मूल्य के अनन्तिम निर्धारण के अधिकार से बचें और मूल्य को नियम 4–10 के तरीके से स्वीकार करें।

नियम 12 के उप नियम 2. के अनुसार सक्षम अधिकारी जब जरूरत हो, तो आयातक से लिखित में उन आधारों पर जो कि सत्यता पर संदेह उत्पन्न करें या निर्धारित मूल्य की स्पष्टता पर संदेह उत्पन्न करें संपर्क कर सकता है। यह नियम 12 के उप नियम 2. के शासनादेश को दरकिनार या त्यागा नहीं जा सकता है। आयातक से संचार और मूल्य निर्धारण इन कथित आधारों की सत्यता और स्पष्टता तथा इन पर तार्किक संदेह की राय लेना आवश्यक है। विधिक आदेश में गतिरोध उत्पन्न करना और उसमें प्रवंचना करना स्वीकार्य नहीं है। विश्वास की बहाली और कारणों को तार्किक संदेह दर्ज करने और कारणों के संचार के लिए जब आवश्यक हो केवल एक ही तरीके से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसमें सक्षम अधिकारी नियम 12 के तरीके से आगे बढ सकता है और नियम 4 से 9 में लेनदेन के मूल्य जो कि घोषित हुआ है जो मना करते हुए निर्धारित कर सकता है।
(21) तर्कों को जांच के द्वितीय स्तर पर दर्ज करने का आदेश स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है। यद्धपि नियम 12 में निहितार्थ में हमारे द्वारा यह पढा गया है कि। सचेत होते हुए कि या आदेश यदि लागू हुआ पूर्ववत वादों में निश्चित रूप से जटिलताओं और परेशानियों को उत्पन्न करेगा, हम भावी अनुप्रयोग के सिद्धान्त का उपयोग करेंगे इस निर्देश के साथ कि पुराने वादी को वाद दर वाद के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो कि निर्भर करेगा वास्तविक परिवेश और प्रतिक्रमोां पर जैसे कि क्या आयातक ने कुछ कारणों को पूछा है कि तर्क संचारित नहीं किए गए कि कुछ कारण का अर्थ निर्धारण और मूल्यांकन के आदेश पर निकाला जाएगा कि क्या अशुद्ध वर्णन या अशुद्ध घोषणा स्पष्ट था आदि।
(22) **कस्टम आयुक्त बनाम् प्रभु दयाल प्रेम चन्द्र** के वाद में इस न्यायालय ने यह निवेदन ठुकरा दिया कि राजस्व को न्यायोचित ठहराया गया था पीतल और तांबा के अपशिष्ट मूल्य को पुनर्निधारित करने में लंदन धातु आदन–प्रदान की जानकारी से इस कथित धातु भी सामना किसी समकालीन वस्तुओं से नहीं हुआ थ आदान–प्रदान की मूल्य को बढाने के लिए। इस न्यायालय ने अधिकरण के आदेश को जो कि प्रभु दयाल प्रेम चन्द के वाद में था और निर्धारित किया कि मूल आदेश किसी समकालीन आयात का विवरण नहीं प्रदर्शित करता है या किसी अन्य पदार्थ को जो कि संपुष्टिकारक पदार्थ के रूप में हो जिसने कि आदान–प्रदान के मूल्यांकन में बढोत्तरी को आवश्यक बनाया।
(23) प्रस्तुत वाद में हम मूल आदेश के निष्कर्ष को वर्णित कर सकते हैं जो कि यह मूल्यांकित करता है कि अपीलकर्ता ने एल्युमिनियम के क्षय पदार्थों का मूल्य 81.31 प्रति किग्रा घोषित किया है, यद्यपि समकालीन आयात के जो आंकडे. जो कि विभिन्न भुगतान शुल्क के रूप में हैं को एल्युमिनियम क्षय मूल्य 83.26 से 120.897 प्रति किग्रा निर्देशित किया है। आदेश के कथित भाग लगभग चार प्रविष्टि के देयक को उद्धत करते हैं जो कि निर्धारित मूल्य 85 रूपये प्रति किग्रा से कम घोषित करते हैं। रोचक रूप से,मूल आदेश यह भी दर्ज करते हैं। कि आयातित माल जो कि एल्युमिनियम अपशिष्ट है कोई या प्रयोगशाला परीक्षण समरूप वस्तु नहीं थी और इसलिए, नमूने के या प्रयोगशाला परिक्षण के आधार पर मूल्यांकित नहीं किए जा सकते हैं। इसके आगे, आदेश में यह भी है कि यह बहुत कठिन था कि किसी एकरूप पदार्थ जो कि भारत में आयातित हे जे कि एक समान रासायनिक और भौतिक बनावट रखता हे ओर यह कि एल्यूमिनियम अपशिष्ट पदार्थ के मूल्यों जो कि आयातित वस्तुओं से प्रकृति और विशेषताओं में समान हैं
उपलब्ध नहीं थे। इन वक्तव्यों की सत्यता को बिना आलोचित किए हुए, हम यह पाते हैं कि उपरीकथित तथ्य जो कि आदान–प्रदान मूल्यों में मना ही से संबंधित हैं, धारा 14 आदेशों से मेल नहीं खायेंगे और उन नियमों से जो संजीवनी गैर फेरस व्यापारिक प्रतिष्ठान प्राइवेट लिमिटेड में स्पष्ट किए गए हैं जहां यह निर्धारित किया गया कि आदान –प्रदान के मूल्य जो कि देयक में दर्ज हैं दरकिनार नहीं किये जाने चाहिए जब कि वहां समकालीन आयात के विपरीत विवरण या अन्य पदार्थ जो कि आयात के संपुष्टि कारक सबूतों को निर्देशित ओर तामील करते हैं आयात के नजदीक के समय पर जो कि घोषित मूल्य के मनाही/निषेध को उचित सिद्ध करते हैं और देयक की मूल्य बृद्धि को भी उचित सिद्ध करते हैं हमने यह वर्णित किया और विधिक स्थिति नियम 12 सन् 2007 के संबंध में वर्णित किया है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(24) इसलिए इस वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में यह निर्धारित किया जाना है कि न्यायाधिकरण का आदेश मूल में दोषमुक्त और कानून के विपरीत है, क्योंकि यह अकाट्य और अच्छा कारण नहीं प्रदान करता है धारा 14 (1) और नियम 12 में आदान–प्रदान के मूल्य के नकारण के लिए जो कि विधेयक में घोषित है। यह आदेश मूल में धारा 14 और नियम 3 और 12 के अनुरूप नहीं है क्योंकि इन प्रावधानों के आदेश को दरकिनार किया गया है। सहायक जिलाधिकारी ने आदान –प्रदान के मूल्य को नकार दिया है,जो कि देय में दर्ज है। जो कि ऊपर में ध्यान दिया गया है स्पष्ट रूप से और आधारभूत रूप से गलत है। अन्तर्विरोधी होने के बावजूद। इन उपलिखित परिस्थितियों में हम यह नहीं सोचते हैं कि निर्धारण के आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2017 को बनाये रखा जा सकता है और उसको सही ठहराया जा सकता है। यह दरकिनार किया गया और रद्द कर दिया जाता है।

(25) समाप्त करने से पहले, हम आंकलित करेंग कि मूल्यांकन चेतावनी जो कि प्रतिवादी द्वारा कहा गया है को प्रबंध निदेशक मूल्यांकन द्वारा जारी किया गया है जो कि मूल्यांकन प्रवृत्तियों के निरीक्षण और संवेदनशील वस्तुओं के तरीकों और सही पैमानों के लेने को दर्शाता है। वे मूल्यांकन मामलों के क्षेत्र निर्धारण के लिए निर्देशन प्रदान करते हैं। वे एकल अभ्यास को सुनिश्चित करते है, सहज कार्यकलाप और टाल मटोल तथा शुल्क के लघु अदायगी को रोकते हैं।

कुछ भी हो, उन्हें यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि निर्धारण प्राधिकरण के विचार में हस्तक्षेप करें जो कि एक निर्धारण आदेश को पारित करने की जरूरत समझे प्राप्त किये गये वास्तविक परिवेश में। घोषित मूल्यांकन को नकारा जा सकता है जो कि सबूतों ,पर आधारित हो और जो उचित कारणों को पास करते हैं और उसके कसौटी पर खरे उतर सकें। इसके अतिरिक्त राय जो कि बनाये गये हैं। तार्किक होने चाहिए। उद्धरण जो कि वैदेशिक बही खाते ओर मूल्य जो कि लेनदेन में अवहृत किये गए हैं। जो कि सही अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य संबंधित वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए है। प्रासांगिक होंगे लेकिन इन पदार्थों पर विश्वास तभी स्थापित किया जा सकता है जब न्यायधिकरित प्राधिकरण ने जांच संचालित करा दी है। और विस्तृत वर्णन को निश्चित किया हो आयातित वस्तुओं के संदर्भ में जो कि समान और एक रूप है और कुछ कारण उपस्थित करते हैं ओर व्यापक जांच को सुनिश्चित करते है। इन कारणों को दर्ज किया जाना है और यदि प्रार्थना की जाए आयातक को दिखाया या संचारित किया जाए । मूल्यांकन सतर्कता विश्वास की जा सकेगी मूल्यांकन गणना की कमी के लिए नियमों के अन्दर(वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम् भारत संघ)

(26.) हम यह भी निश्चित करना चाहेंगे कि हमने किसी सामान्य या बहुप्रयोजित निर्देश को जारी नहीं किया है कि आदान–प्रदान मूल्य विधेयक प्रविष्ट में घोषित किए सभी मामलों में निरपवाद रूप से स्वीकार किया जाए। और सभी मामलों में जहां एल्युमिनियम क्षय पदार्थों के आयाता को सम्मिलित किया गया हैं मामले को जांच किया जाना होता है

मामलों दर मामलों के हिसाब से और प्राधिकरण के सबूतों के आधार पर और वस्तुएं जो दर्ज की गई हैं उनके उपस्थिति के आधार पर और जांच जो कि न्यायधिकारित प्राधिकरण द्वारा संचालित की गई हों।

(27) ऊपरिकथित स्पष्टीकरण के साथ, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और निर्धारण के आदेश को दरकिनार और रद्द करते हैं जो दिनांक 07.04.2017 के हैं जिसमें उत्प्रेषण की याचिका जारी की जायेगी। वाद के तथ्यों में मूल्य का कोई आदेश नहीं होगा।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश

दीपक गुप्ता, न्यायाधीश

राजीव खन्ना, न्यायाधीश

नई दिल्ली

17 मई, 2019

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।